

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर
आदेश

S.B. Criminal Writ Petition No. 682/2017

श्रीमती सुनीता मीणा
बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य

आदेश दिनांक

17 फरवरी, 2018

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा

याची की ओर से कोई उपस्थित नहीं
श्री जितेन्द्र श्रीमाली विद्वान् अति.राजकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य
अनुसंधान अधिकारी श्री युधीष्ठिर, उप पुलिस निरीक्षक, पुलिस थाना-
हिण्डोन सिटी व्यक्तिशः उपस्थित.

--

अनुसंधान अधिकारी श्री युधीष्ठिर, उप पुलिस निरीक्षक, पुलिस थाना-
हिण्डोन सिटी ने उपस्थित होकर विद्वान् अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता श्री
जितेन्द्र श्रीमाली के मार्फत प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की , जिसे
अभिलेख पर लिया गया।

अनुसंधान अधिकारी के निर्देशानुसार विद्वान् अतिरिक्त राजकीय
अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि गुमशुदा बच्चे का सुराग मुम्बई में लग
चुका है तथा सी डब्ल्यू सी, समिति के सदस्यों की मीटिंग पर उसके लाने
के बाबत आदेश पारित हो जायेंगे तथा आगामी 15 दिन में बच्चे को उसके
घर पहुंचा दिया जावेगा।

पत्रावली दिनांक 08.03.2018 को पुनः न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की
जावे।

(न्यायाधीश बनवारी लाल शर्मा)